न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रा.पत्र संख्या 175 / 2025

रामकिशोर पिता रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी पाछुन्दा तह0 बेगूँ
.........प्रार्थी

वनाम

श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार बेगूँ तहसील कार्यलय बेगूँ
.............विपक्षी

उपस्थित :—श्री विजयप्रकाश शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार तहसीलदार बेगूँ
विपक्षी

दिनांक :— 04.02.2026

आदेश प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 लेण्ड.रेवेन्यु.एक्ट

1— प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र मे इस प्रकार से निवेदन किया है की मौजा पाछुन्दा प.ह. ऑवलहेडा की खाता संख्या 71 मे अंकित आराजी संख्या 511 रकबा 0.0400 हैक्टर किस्म आ0चा0(कुऑ) मे प्रार्थी के पिता का रामप्रसाद पिता कूका जी के स्वामित्व की भूमि है जिसमे प्रार्थी के पिता का नाम लिपिकीय त्रुटी से रामचन्द्र दर्ज हो गया है।

2— यह कि प्रार्थी के पिता का नाम रामप्रसाद पिता कूका जी था जिनकी मृत्यु दिनांक 20.11.2015 को हो गई है। जिनके सभी राजकिय दस्तावेजात मृत्यु प्रमाण पत्र आधार कार्ड तथा अन्य खातेदारी की कृषि आराजीयात मे प्रार्थी के पिता का नाम रामप्रसाद पिता कूकाजी था लेकिन उक्त उक्त चाह आराजी मे लिपिकीय त्रुटी से रामचन्द्र पिता कूका दर्ज हो गया।

3— यह कि प्रार्थी को बिजली कनेक्शन हेतु उक्त नम्बर की नकल निकलवाई तो जानकारी मे आया कि उक्त आराजी चाह मे प्रार्थी के पिता का नाम रामप्रसाद पिता कूका के बजाय रामचन्द्र पिता कूका दर्ज हो रहा है जिससे प्रार्थी द्वारा पटवारी हल्का के पास उक्त त्रुटी को सुधराने हेतु कहा तो हल्का पटवारी ने सुधारने से इंकार कर दिया जिससे प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायलय श्रीमान में पेश करने की आवश्यकता हुई है।

4— यह कि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों मे प्रार्थी कें पिता का नाम रामप्रसाद पिता कूका जी तथा प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक मे वर्णित आराजीयात मे प्रार्थी कें पिता का नाम रामचन्द्र पिता कूका लिपिकीय त्रुटी से अंकित होने के कारण प्रार्थी की उक्त आराजीयात पर कनेक्शन करवाने से वंचित हो रहा है

अतः न्यायलय श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा पाछुन्दा प.ह. ऑवलहेडा की आराजी संख्या 511 रकबा 0.0400 हैक्टर किस्म आ0चा0(कुऑ) मे खातेदार ''रामचन्द्र पिता कूका जी के बजाय रामप्रसाद पिता कूका'' दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्ष को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी पैराकार तहसीलदार बेंगू ने प्रर्थना पत्र का जवाब निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 का जवाब इस प्रकार है कि यह सही है कि प्रार्थी के पिता का नाम रामप्रसाद पिता कूका था। उक्त चाह आराजी मे लिपिकीय त्रुटी से रामचन्द्र पिता कूका दर्ज हो गया।

प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र 136 आर.टी.एक्ट पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार से निवेदन की मौजा पाछुन्दा प.ह. ऑवलहेडा की खाता संख्या 71 मे अंकित आराजी संख्या 511

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौडगढ)

0.0400 हैक्टर किस्म आ0चा0(कुऑ) मे प्रार्थी के पिता का रामप्रसाद पिता कूका जी के स्वामित्व भूमि है जिसमे प्रार्थी के पिता का नाम लिपिकीय त्रुटी से रामचन्द दर्ज हो गया है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा पाछुन्दा प.ह. ऑवलहेडा की आराजी संख्या 511 रकबा 0.0400 हैक्टर किस्म आ0चा0(कुऑ) मे खातेदार "रामचन्द पिता कूका जी के बजाय रामप्रसाद पिता कूका" दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे। पैरोकार तहसीलदार ने अपनी बहस मे त्रुटी होना स्वीकार किया है। हमारे द्वारा बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुने जाने के पश्चात पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी संवत 2078–2078 ग्राम पाछुन्दा प.ह. ऑवलहेडा खाता संख्या 71 मे क.स. 25 पर रामचन्द पिता कूका हिस्सा 1/12 दर्ज है। खाता संख्या 143, मे रामकिशोर पिता रामप्रसाद दर्ज है। नकल छाया प्रति मृत्यु प्रमाणपत्र मे रामप्रसाद पिता कूका लाल, एव आधार कार्ड मे रामप्रसाद पिता कूका लाल दर्ज अंकित है।

प्रकरण मे प्रस्तुत सभी दस्तावेजो व तहसीलदार बेंगू के जवाब प्रा.पत्र का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र अ.धा. 136लेण्ड.रे.एक्ट.का स्वीकार किया जाता है तहसीलदार बेंगू को मौजा पाछुन्दा प.ह. ऑवलहेडा की खाता संख्या 71 मे अंकित आराजी संख्या 511 रकबा 0.0400 हैक्टर किस्म आ0चा0(कुऑ) भूमि के राजस्व रेकार्ड मे गलत रूप से अंकित हुए "रामचन्द पिता कूका जी के बजाय रामप्रसाद पिता कूका" दर्ज नाम अंकित कराये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश कि प्रति तहसीलदार बेंगू को पालनार्थ दी जावे।

आदेश आज दिनांक 04.02.2026 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(अंकित सामरिया)
उपखण्डअधिकारी,
बेंगू, जिला चित्तौडगढ

क्रमांक / सरिश्ता / 2026 / 91 दिनांक :– 13.2.26

प्रार्थना पत्र संख्या 07 / 2025 व अनवान रामकिशोर बनाम भूमिधारी प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर.एक्ट. मे आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेंगू को दी जाती है।

उपखण्डअधिकारी
बेंगू, जिला चित्तौडगढ